

राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

उनवान... सिपा

वनाम... नन्दकिशोर

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम	
25.1.23	पम्बली वाले स्टल 022/104 के पेन की अधिवक्ता उमरफ्तन उष्षिता स्थान की गरी वाले कार्डेन 8/11/22 को पेन की
8.2.23	पम्बली वाले शब्देय / सम्प्रदाय के कार्य पम्बली 14.2.23 को पेन की
14.2.23	पम्बली वाले शब्देय 022/104 के पेन की प्रार्थ / 20 L द्वारा इतल उष्षिता का शर्तनापन पेन 09.11.22 को बिना कि रेखा लेख्य 17 जगराम का इतलकाल 04 वर्ष से अधिद बन्द्य व्पती ल दो हुम है और काम मुकाम बनाने का पराप्त मन्व की डिना जय हुम है पखु काम मुकाम की कार्षिकही अप्पेलाट द्वारा नहीं की जा रही है। नानामय ह्याजा की कार्षिकही 8.5.20 का इतलेष डिना गमा। 15.6.2016 के अवरिम जगम की ग्दरेस्तों की जा रही है। निपमाडलल अपील 'मारोमेरिड अप्पे' होउरि है और परा तर रि अप्पेलाट द्वारा थ वानेफु abatement की कम्बन्धनी नहीं लाई है। अट: अप्पेलाट अपील जारिज की जय इतल MAH 1964 SC 215 (VSC 20), 2017 RBT 386, AIR 2000 1944 353 पेन डिग। उक्त शर्तनापन में अप्पेलाट / प्राकी द्वारा अपन अंडन विरि अधिवक्ता अप्पेलाट द्वारा पर अप्पेलाट डिना गमा रि अप्पेलाट पडने पर पर

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

उनवान... सिपा

वनाम... नन्दकिशोर

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

	अपीलाट को सूचित कर देगा, कि- कस आ गया था। जब अधिवक्ता तो रेखा लेख्य 07 व 19 की से अप्पेलाट कार्षिकही हेतु पर पर कार्षिकही की गरी तलेख्य को इनमे विधिद वरिदान के लिए जाने का शर्तनापन पेन अप्पेलाट के शर्तना के गवळ में हेल्थो 11 द्वारा का अपन अंडन विरि डि प्रा- अधिनियम की शर्तिये 90 दिवस कजाए 120 दिवस में पेन वि अवेलेण्ट लेट अवेलेण्ट का पेन नहीं किया गया है। 20 की ग्दु डिनां का भी अंडन गमा है। अदालते CFC 15। मिशंर-अवधि मुकाम पर मुकाम काम नहीं कर शर्तनापन व्पतीज का होने के कार्य जारिज अप्पेलाट का उमरफ्तन म कटल में उमरफ्ते तखों कटल पर मनन का क्कलेडन डिना गमा पर सम्मान मनन नानामालय डिनां 25.04.19 से 5 लग्गत 20 की डिना गमा करने जाने के उर
--	--

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोदास

उनवान..... विन

वनाम..... नन्द

तारीख हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	<p>आदेश हैं परन्तु 8-1-20 तक भी पेपर नहीं गले पर आवश्यक कार्यवाही के बिना किया गया परन्तु 06-10-21 के रेंड 17 के 'जोती' रिपोर्ट तलवी पर करने के उपरांत भी 09-11-22 तक आपस मुद्दा प्रवेचना पर पेपर नहीं किया गया। जब 11-1-23 के प्रायोजना पर 02-10-24 को आपस अधि धारा 5 का प्रायोजना पर पेपर किया गया तो आपसी रेंड 02 का इसका निरोध करते हुए प्रायोजना के लिए की गयी।</p> <p>इस प्रकार अपील के प्रायोजना पर रेंड संख्या 17 के मुद्दा निकाल का अंश नहीं है और न ही मुद्दा प्रवेचना अंश ही मुद्दा की विधि कक्ष से मानी जडे मह प्रायोजना के प्रायोजना पर में हथला नहीं है।</p> <p>इसके बावजूद भी तलवी रिपोर्ट आदेशिका 'यापलव' बाज्य 06-10-21 के बावजूद भी 30 दिनों में प्रायोजना पर आपस मुद्दा पेपर नहीं किया गया। निष्ठाविषय प्रकृतिये गुजर जाने के उपरांत आपस यापलव कायम मुद्दा में नहीं बना रहता है [MR 1984 SC 245 V 51 C 20]</p> <p>इस प्रकार प्रा.प. कायम मुद्दा के से पूर्व विधिक प्रकृतियों के अंतर्गत अपील "कत. ही लफेट"</p>

राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

उनवान..... मिषा वनाम..... नन्दु.डिवी.ए. १०१

ख म	हुयम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुयम की तामील में जारी हुए
	<p>की फ़ॉर्म में भेजा है। इसके वाक्य की अधि/प्रार्थी। अपीलार्थ द्वारा आपन ०१२२०५ के साथ 'सेट असाइड' का प्राप्ति पेश नहीं किया गया है। इस कारण न्यायालय राजा सन अचार्जिहित प्रविष्टि का इस फीजिनि में प्रयुक्त नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त 'विलम्ब' का भी कोई सुविधुबल कारण अंडन नहीं दिए हैं, विलम्ब कितने समय का है, पहली प्रार्थी या प्रार्थना पत्र ०१२२०५ के प्रार्थना पत्र में 'जोत द्वितान' का अंडन नहीं दिए जाने से निर्धारित नहीं है।</p> <p>[CIC १०४ ०१२२०५ and ५ see १०० - abatement of appeal - appeal abates automatically on expiry of 30 days from the date of death.] सि.सि. २०१३ १३४६</p> <p>उपरोक्त विवेचना के आधार पर अंडेयें अपील अबेल होने के कारण सारहीन ले गई हैं और स्वतः ही खारिज माना है। इस प्रकार अवरिम खगन आड़ेय दिनांक १५.६.२०१६ व प्रार्थी का प्रार्थना भी खारिज किया जाता है। पबबली जेसल कुमार होकर दादा देवल का नम्बर से कम हो। निर्णय आज के इजलास कराया गया। ३</p> <p style="text-align: right;">राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर</p>	